{ WORTH - REPORTABLE }

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेंस / एल.आर. / 5146 / 2010 / जयपुर

सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, जिला जयपुर।

—— प्रार्थी

बनाम

1. लालू पुत्र घासी (मृत्तक) :—
   - 1.1 श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी लालू
   - 1.2 भूरा पुत्र लालू
   - 1.3 बोदू पुत्र लालू
   - 1.4 जगदीश पुत्र लालू
   - 1.5 बनवारीलाल पुत्र लालू
   - 1.6 सुल्तान पुत्र लालू
   - 1.7 लक्ष्मण पुत्र लालू
   - 1.8 तोफान पुत्र लालू
   - 1.9 श्रीमती गुलाब देवी पुत्री लालू
   - 1.10 राजू देवी पुत्री लालू
   - 1.11 गंगादेवी पुत्री लालू
2. हणमान पुत्र घासी
3. गोपी पुत्र घासी
4. सूजा पुत्र घासी (मृत्तक)
   - 4.1 श्रीमती शांतिदेवी पत्नी सूजा
   - 4.2 जीवनराम पुत्र सूजा
5. मांगू पुत्र घासी
6. फूलचंद पुत्र घासी

   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम सिन्डोलाई, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—— अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री बी. एल. नवल, सदस्य

उपस्थित :—
(1) श्री एस.के.शर्मा, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

रेफरेंस/एल.आर./5146/2010/जयपुर
सरकार बनाम ग्यारसी

निर्णय

दिनांक : 03 दिसम्बर, 2012

यह रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) की धारा 82 के अन्तर्गत विद्वान् अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय), जयपुर द्वारा प्रेषित रेफरेन्स प्रकरण संख्या 292/2005 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 26–10–2009 के संदर्भ में पेश किया गया हैं।

2– रेफरेन्स के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, आमेर, जिला जयपुर ने धारा 82, अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र विद्वान् अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय), जयपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सिन्डोलाई, तहसील आमेर की आराजी खसरा नं0 139, 141, 149, 163, 164, 169 रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा खतौनी बंदोबस्त संवत् 2010 से 2023 के मुताबिक माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के नाम दर्ज हैं। इस आराजी खसरा नम्बर 139, 141, 149, 163, 164, 169 रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा के नये खसरा नं0 244, 226, 224, 222, 223, 255/318, 259, 260, 261, 272, 273 किता–11 रकबा 3.91 हैक्टेयर बने। कालान्तर में जमाबंदी तहरीर करते समय तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा मंदिर का नाम विलोपित करते हुए सीधे ही उक्त आराजियात घीसा पुत्र नानू जाति मीणा के नाम अंकित कर दी गई तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3– बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4– प्रार्थी की ओर से विद्वान् उप राजकीय अभिभाषक ने रेफरेंस मीमो में प्रस्तुत तथ्यों का ब्यौरा देते हुए अवगत कराया कि वादग्रस्त आराजी संवत् 2010 से 2023 की मिसल बंदोबस्त में माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के नाम दर्ज थी। नयी मिसल बनाते समय बिना किसी सक्षम आदेश के मंदिर का नाम हटाकर उसके स्थान पर घीसा वल्द नानू, कौम मीणा के नाम वादग्रस्त आराजी दर्ज कर दी, जो स्थापित न्याय सिद्धांतों के खिलाफ एवं अधिनियम, 1955 की धारा 46 के विरूद्ध होने से उक्त अंकन जो अब घीसा के वारिसान के नाम आ गया है, निरस्त करते हुए वादग्रस्त आराजी पुनः मंदिर श्रीलक्ष्मीनाथ जी के नाम अंकित की जावें। उन्होंने आगे बताया कि घीसा मंदिर की जमीन काश्त करता था, वह मंदिर की तरफ से ही काश्तकार था एवं ऐसे काश्तकारों को मंदिर की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते। मंदिर शाश्वत नाबालिग है, एवं

नाबालिग स्वयं काश्त नहीं कर सकता तथा उन्हें भरण पोषण के लिए मंदिर की जमीन किसी को तो काश्त पर दी जानी थी। घीसा यह काश्त करता था, परन्तु भू प्रबंध की भूल से वादग्रस्त आराजी मंदिर के बजाय घीसा के नाम अंकित कर कानून के खिलाफ कार्य किया है, जिसे दुरूस्त करते हुए घीसा व वर्तमा न में उसके वारिसान, जो अप्रार्थीगण है, का राजस्व रिकार्ड से नाम विलोपित कर भूमि पुनः मंदिर के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान कर रेफरेंस स्वीकार किया जावें।

5— बहस का जवाब देते हुए विद्धान् अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी पक्ष ने तथ्यों को तोड़—मरोड़ कर एवं गलत तथ्य पेश किये है। सरकारी पक्ष जिस खतौनी बंदोबस्त मे वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनाथजी का अंकन होने का तर्क देते हैं, उसी जमाबंदी में काश्तकार के कॉलम में अप्रार्थीगा को पूर्व पुरूष घीसा पुत्र नानू बतौर काश्तकार दर्ज है। घीसा पुत्र नानू अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पहले भी काश्तकार दर्ज था व बाद में काश्तकार ही दर्ज रहा, बंदोबस्त विभाग ने कोई नई ऐन्ट्री रिकार्ड में नहीं की है। यह सही है कि माफीदार के कॉलम में माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी का अंकन है, परन्तु जब माफी अधिग्रहित की गई तो मंदिर का नाम विलोपित करते हुए उसके स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित हो गया एवं काश्तकार वैसे ही काश्तकार बना रहा, अतः घीसा राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गया। मंदिर के नाम यह भूमि बंदोबस्त रिकार्ड में खुद काश्त कभी दर्ज नहीं रही, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि घीसा मंदिर की तरफ से काश्त कर रहा था, बल्कि वह इस आराजी का खातेदार काश्तकार प्रारम्भ से ही था।

6— विद्धान् अभिभाषक का आगे तर्क है कि राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र दिनांक 24—5—2007 को जारी कर समस्त जिला कलक्टर्स को यह निर्देशित किया था कि ऐसी मंदिर माफी की भूमियां, जिन पर काश्तकार के रूप में किसी व्यक्ति का नाम अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पहले दर्ज हो एवं ये भूमियां मंदिर की खुदकाश्त भूमि ना हो तो, उनके रेफरेंस मंडल के समक्ष नहीं किये जावे। इसी आशय का परिपत्र माननीय राजस्व मण्डल ने भी दिनांक 06—1—2011 को जारी किया था। अतः रेफरेंस प्रावधानों के विपरीत एवं राज्य सरकार तथा स्वयं राजस्व मंडल के निर्देशों के विरूद्ध होने से स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज किया जावे।

7— हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं परिपत्रों तथा कानून का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं विवेचन, विश्लेषण किया।

8— विद्वान् अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय), जयपुर द्वारा प्रेषित इस रेफरेंस में भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी मौजा सिन्दोलाई, तहसील आमेर की प्रति, जिसमें संवत् का विवरण दिखाई नहीं दे रहा है, मिलान क्षेत्रफल की प्रति, नामान्तरकरण संख्या 25 व जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 ग्राम सिन्दोलाई की नये खाता संख्या 66 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी, जिसे राजकीय पक्ष मिसल बंदोबस्त संवत् 2012 से 2023 मानकर पेश की है, के कॉलम नम्बर—2 में नाम माफीदार में माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनाथजी बहतमाम पुजारी हरखनारायण व बोदूराम पिसरान बलदेव कौम ब्राहमण सा0 देह काश्तकार के कॉलम नम्बर—3 में घीस्या वल्द नानू, कौम मीना सा0 देह मु . बुदीम व0 खसरा नं 0 139, 141, 149, 163, 164, 169 मीजान संख्या 6 रक बा 15 बीघा 04 बिस्वा दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के हिसाब से इन साबिक खसरा नम्बर के नये नम्बर 222, 223, 224, 226, 259, 260, 261, 272, 273 बने है। नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 13—12—1978 के अनुसार घीसा के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम अंकन आया है एवं जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 में लालू, हणमान, गोपी, सूज्या, मांगू, फूलचंद पि0 घीसा का कीता 11 रकबा 3.91 हैक्टेयर दर्ज है। लालू व सूज्या की मृत्यु बाद कुल खातेदार है, वे समस्त अप्रार्थीगण है।

9— विद्वान् उप राजकीय अभिभाषक का तर्क था एवं रेफरेंस मीमों में भी यह कथन आया है कि कालान्तर में जमाबंदी तहरीर करते हुए राजस्व कर्मियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के मंदिर का नाम विलोपित कर वादग्रस्त आराजी घीसा के नाम दर्ज कर दी। यह तर्क तथ्यों के विरूद्ध है। प्रस्तुत जमाबंदी, जो प्रथम रिकार्ड है, में घीसा पुत्र नानू बतौर काश्तकार दर्ज है एवं मंदिर माफी की इस आराजी में खुद काश्तकार का अंकन कहीं नहीं आया है। अब प्रश्न यह है कि क्या घीसा का नाम अधिनियम, 1955 के प्रभाव मे आने के पश्चात् खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज रहेगा एवं इस पर अधिनियम, 1952 की धारा 9 व 10 का क्या असर पड़ेगा ?

10— अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अनुसार माफी की सारी आराजियां रिज्यूम की जाकर राजस्थान सरकार में निहित हो जायेगी एवं धारा 10 में खुदकाश्त की भूमि पर खुदकाश्त खातेदार को खातेदारी प्रदान हो जायेगी, जो नाम बतौर खुदकाश्त काश्तकार उस समय दर्ज है, वह अंकन बरकरार रहेगा व उन्हें खातेदार काश्तकार माना जायेगा। ये प्रावधान निम्नानुसार उद्धरत किये जा रहे हैं :—

Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 Sec. 9 & 10

Sec. 9 : Khatedari rights in jagir Lands-

Every tenant in the Jagir land who at the commencement of this Act is entered the revenue records as

the Khatedar, Pattedar, Khatedar or under any other description implying that the tenant has heritable and full transferable right in the tenancy shall continue to have such rights and shall be called a Khatedar tenant in respect of such land

Sec. 10 : **Khtedari right in khudkasht land** -

As from the date of resumption of any jagir land and khudkasht land of a jagirdar shall be deemed to be held by the jagirdar as a tenant and shall be assesses at the village rate.

11— हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी मंदिर माफी की खुदकाश्त भूमि दर्ज नहीं है एवं एक मात्र काश्तकार घीसा पुत्र नानू मीणा का नाम अंकित है, जिसे स्वतः खातेदारी अधिकार अधिनियम, 1955 की धारा 15 में प्राप्त हो जाते है। दिनांक 24—5—2007 को राजस्व विभाग राजस्थान सरकार ने एक पत्र जारी किया है, जिसके पैरा नम्बर 3 व 4 सुसंगत है, जो इस प्रकार हैं :—

(3) "मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ—साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया, जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13—12—1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।"

(4) "ऐसी भूमि के संबंध में जो मंदिर माफी की थी, के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे, वे निरन्तर खातेदार बने रहेगें। धारा 9 निम्न प्रकार है:—

"जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार— जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में, जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में

आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।"

12— इसी निर्देशों को राजस्व मण्डल ने भी अपने पत्र दिनांक 06—1—2011 के द्वारा संदर्भित करते हुए जारी किया है, जिसका सार यह है कि :—

"मंदिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के संबंध में परिपत्र दिनांक 24—5—2007 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित् की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि, जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी, उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत नहीं हैं। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।"

13— उक्त न्यायिक संदर्भो, अधिनियम, 1955 की धारा 15, अधिनियम, 1952 की धारा 9 व 10, राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.3 (2) राज—6 / 2007 / 14, दिनांक 24—5—2007, राजस्व मण्डल द्वारा जारी पत्र क्रमांकः राम / प—63 / न्याय / स्था / 05 / 636—689 दिनांक 06—1—2010 को ध्यान में रखते हुए हस्तगत रेफरेंस बलहीन, आधारहीन, सारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. एल. नवल)
सदस्य